



स्थित है। मूलवाद में विवादित भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुका है। यदि विधिवत बंटवाड़ा करवायें बिना विवादित भूमि में बेचान अथवा मौका स्थिति में फेरबदल हो जाता है तो प्राथीगण को क्षति होनी की संभावना बढ़ती है एवं प्रश्नकारान के मध्य विवाद बठने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदेगीया बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्यता प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्राथीगण को आगामी पेशी तारीख 16.11.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 168 क्षेत्रफल 1.1635 हैक्टर भूमि के संबध में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विप्राथी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते-विप्राथी की तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 16.11.2022 को पेश हो


11.11.2022
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

16.11.22 पकील प्राथीगण उपाहयता
इंकि मूलवाद का निस्तारण
हो गदा है, अख श्रावेदन - पत्र
को श्रावेदन वास्ते का कोई
श्रावेदन प्रतीत नहीं होता है।
पेशी स्थिति में न्यायालय द्वारा
प्यारी अन्तरिम स्थगन आदेश
दिनांक 11.11.2022 को निस्तार
कर, श्रावेदन - पत्र अन्तर्गत धारा
212 के अंतर्गत को इसी स्थिति
पर श्रावेदन किया जाता है।
पत्रावली केरुल कुमार के
वास्ते पत्रावली है।


16.11.2022
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

